रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2476] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2014/अग्रहायण 14, 1936
No. 2476] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2014/AGRAHAYANA 14, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2014

का. आ. 3071(अ).– केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनिमय' कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आपेक्ष कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप कलक्टर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (2) के अधीन समक्ष प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम आदेश होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर की विशेष परियोजना हेतु अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित परिसम्पत्ति व बिना परिसम्पत्ति सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला का नाम : गौतम बुद्ध नगर राज्य–उत्तर प्रदेश

क्र. संख्या	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सदर	(1) अस्तौली	373	0.0864*
			372	0.1184*
			370	0.0192*
			367	0.0832*
			366	0.1024*
			365	0.0896*
			364	0.0320*
			353	0.1632*
			297	0.0320*
			296	0.1536*
			295	0.0896*
			273	0.1312*
			271	0.0640*
			270	0.0320*
			269	0.0040*
			268	0.2240*
			239	0.0768*
			237	0.1472*
			225	0.0576*
		(2) खैरलीहफीजपुर	504	0.2880*
			259	0.0560
			248	0.0544
		(3) जमालपुर	90	0.0360
			89	0.0260
			87	0.0120
			82	0.1760
			72	0.0200
		(4) रघुनाथपुर	183	0.0200*
			182	0.0520*
			181	0.0600*
			179	0.0120*
			176	0.0160*
			175	0.0120*
			174	0.0120*
			173	0.0080*
			172	0.0010*
			169	0.0600*
			168	0.0030*
			167	0.0010*
		(5) चीरसी	122	0.2660*
			382	0.0040*
			383	0.0140*

			384	0.0740*
			389	0.0560*
			397	0.0010*
			398	0.0030*
			399	0.0600*
			401	0.0300*
2	दादरी	(6) पाल्ली	611	0.4540*
			691	0.1280
			692	0.0064
			693	0.0060
			694	0.4704
			696	0.0120
		(7) पल्ला	676	0.5000
			679	0.0050
			680	0.0150
			684	0.1203
			686	0.6500
			688	0.0972
			690	0.0400
			700	0.0270
			701	0.0396
			702	0.0464
			693	0.0360
			694	0.0017
			698	0.0510
			699	0.0170
			697	0.8600
			706	0.0150
			707	0.0050
			708	0.4100
			709	0.0124
			710	0.1024
			711	0.0176
			703	0.1600

*यह क्षेत्रफल वैकल्पिक व्यवस्था के लिए है।

[फा. सं. 2013/एलएमएल/ 7/8/ईस्टर्न कॉरीडोर/569]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं—1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2014

S. O. 3071(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the purpose, the land, brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor District Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Deputy Collector, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the **District Gautam Budh Nagar** for the Special Railway Project Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of Uttar Pradesh

Name of District – Gautam Budh Nagar

Sr. No.	Tehsil	Name of the Village	Plot No.	Area Propose for land Acquisition (inhect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Sadar	(1) Astolli	373	0.0864*
			372	0.1184*
			370	0.0192*
			367	0.0832*
			366	0.1024*
			365	0.0896*
			364	0.0320*
			353	0.1632*
			297	0.0320*
			296	0.1536*
			295	0.0896*
			273	0.1312*
			271	0.0640*
			270	0.0320*
			269	0.0040*
			268	0.2240*
			239	0.0768*
			237	0.1472*
			225	0.0576*
		(2) KherliHafizpur	504	0.2880*
			259	0.0560
			248	0.0544
		(3) Jamalpur	90	0.0360
			89	0.0260
			87	0.0120
			82	0.1760
			72	0.0200
		(4) Raghunathpur	183	0.0200*
			182	0.0520*
			181	0.0600*
			179	0.0120*
			176	0.0160*
			175	0.0120*
			174	0.0120*
			173	0.0080*
			172	0.0010*
			169	0.0600*
			168	0.0030*
			167	0.0010*
		(5) Chirsi	122	0.2660*
			382	0.0040*
			383	0.0140*

			384	0.0740*
			389	0.0560*
			397	0.0010*
			398	0.0030*
			399	0.0600*
			401	0.0300*
(2)	Dadri	(1) Palli	611	0.4540*
			691	0.1280
			692	0.0064
			693	0.0060
			694	0.4704
			696	0.0120
		(2) Palla	676	0.5000
			679	0.0050
			680	0.0150
			684	0.1203
			686	0.6500
			688	0.0972
			690	0.0400
			700	0.0270
			701	0.0396
			702	0.0464
			693	0.0360
			694	0.0017
			698	0.0510
			699	0.0170
			697	0.8600
			706	0.0150
			707	0.0050
			708	0.4100
			709	0.0124
			710	0.1024
			711	0.0176
			703	0.1600

* This area is for alternative arrangement.

[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/560]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities–1)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.